" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल,जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा,जोधपुर राज0 दूरभाष सं.0291–2511091 ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

"कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–I/12102/सी.भ./व.अ./सी.भ./2011–12 दिनांक 16.04.2018 के अनुसरण में राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 श्री राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 21.09.2015 की अनुपालना) में चयनित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के व0अ0 को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के वेतन लेवल 11 में .दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय 26,500/–(छब्बीस हजार पॉच सौ रुपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(9) एफडी(रुल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/ (छब्बीस हजार पॉच सौ रुपये)अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–12(9) एफडी(रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अशंदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदतचरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक,प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही कीजानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित कीगई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।

Scanned by CamScanner

6. अन्य पिछड़ावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआहो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यकरुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण,जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसारविधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.05.2018 तक अनिवार्यरुप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(बंशीधर गुर्जर)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ./2018/282
दि0 25.04.2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाडमेर।
8. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
9. सवंधित संस्था प्रधान ।
10. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
11. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

Scanned by CamScanner

दूरभाष संख्या 0291-2511091
ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमाकः ईडीडी/माध्य/जोध/इए/व0अ0/आरपीएससी 2011 सशो.परि./2018/282

दिनांक : 25.04.2018

आदेश संख्या – 01

विषय – विज्ञान

क्रसं	मेरिट कमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यार्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	1082	GE,WE	नर्बदा खत्री	बंशीधर खत्री	खत्री पाडा, जैसलमेर	29.09.1984	GENF	रामावि सरनु चिमनजी बाडमेर	नियत पारिश्रमिक

विषय – अंग्रेजी

क्रसं	मेरिट कमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यार्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2314	GE,WE, WD	सुमन लता	कंवर सिंह	गांव–बुदीन, महेन्द्रगढ, हरियाणा	02.07.1975	GENF	रामावि लकडासर सेडवा बाडमेर	नियत पारिश्रमिक

(बंशीधर गुर्जर)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

Scanned by CamScanner